12/3/18
27/4/18

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

परमप्रीत सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नारायणगढ

श्रीकृष्ण कुमार Adv. निगरानी प्रकरण संख्या 06/2018 राजवीर सिंह Adv. अप्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
12.02.2018	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित । निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जावे एवं रिकॉर्ड तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 13.03.2018 को पेश हो।	7463 14/2
13/3/18	निगरानीकर्ता अधिवक्ता उपस्थित। रिकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 14/3/18 को पेश हो।	13/3
14/3/18	निगरानीकर्ता अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया। रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है पत्रावली वास्ते रिकार्ड तलबी एवं एडमिशन बहस हेतु दिनांक 21/3/18 को पेश हो।	Noted 21/3/18
21/3/18	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~ प्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 2/4/18 को पेश हो।	रिपोर्ट रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ 21/3/18
2/4/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 12/4/18 को पेश हो।	
12/4/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 16/4/18 को पेश हो।	
16/4/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27/4/18 को पेश हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

06.07.2018 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत नारायणगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2018, जिसके तहत बुधसिंहवाला में गौरव पथ खेंरूवाला लिंक रोड से अटल सेवा केन्द्र होते हुए जोहड की तरफ'' बनाए जाने का प्रस्ताव सख्या 03 को निरस्त किये जाकर पूर्व में स्वीकृत गोरवपथ, ''हरिजन धर्मशाला से दर्शन सिंह के घर (वाया अटल सेवा केन्द्र) तक का निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने बाबत पेश की थी। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांकः–एफ.7(71)/जीजीपी–III/Sec-II/2017-18/ डी–115 दिनांक 28.05.2018 द्वारा पूर्व में जारी कार्यो की स्वीकृति के सन्दर्भ में नवीन स्वीकृति जारी कर दी गई जिसकी पालना में नारायणगढ (बुधसिंहवाला) में स्वीकृत ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कार्य ''हरिजन धर्मशाला से दर्शन सिंह के घर तक वाया अटल सेवा केन्द्र'', के स्थान पर नारायणगढ (बुघसिंहवाला) में ''खेरूवाला सडक से अटल सेवा केन्द्र–हरिजन बस्ती–जोहड की ओर'' स्वीकृत होकर निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया है।

अतः नारायणगढ (बुधसिंहवाला) में स्वीकृत ग्रा.गो.पथ का निर्माण कार्य हरिजन धर्मशाला से दर्शन सिंह के घर तक वाया अटल सेवा केन्द्र , के स्थान पर नारायण (बुघसिंहवाला) में खेरूवाला सडक से अटल सेवा केन्द्र–हरिजन बस्ती–जोहड की ओर सक्षम स्तर से संशोधन पश्चात स्वीकृत होकर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner